

काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

14. यदि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन0एम0सी0), नई दिल्ली द्वारा भविष्य में कोई अन्य दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं, तो तदनुसार उक्त शासनादेश में अपेक्षित संशोधन किया जायेगा।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित माननीय न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव

संख्या एवं तदिदनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
- 2) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
- 3) कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4) निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ।
- 5) निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
- 6) निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
- 7) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 8) निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
- 9) समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10) समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 12) निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,
(हरीश कुमार)
उप सचिव।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:एम0ई0-3/2026/1614

दिनांक: 03 सितम्बर, 2026

उपर्युक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. यू0पी0 नीट यू0जी0-2026 काउंसिलिंग बोर्ड।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई, इटावा।
4. निदेशक, डा0आर0एम0एल0, लखनऊ/जिम्स, ग्रेटर नोएडा/ई0एस0आई0सी0 मेडिकल कालेज, नोएडा, वाराणसी।
5. यू0पी0 नीट यू0जी0-2026 नोडल सेन्टर (अभिलेख सत्यापन/प्रवेश प्रक्रिया)।
6. प्रधानाचार्य/प्रबंधक, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेज, उ0प्र0।

कृते महानिदेशक।

संख्या-I/1448377/2026/71-4099/1011/2022

प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 01-09-2026

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस०) में प्रवेश हेतु नीति-निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विषयक आपके पत्र संख्या-I/695695/2026, दिनांक 22.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2-इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू०जी०-2026 की दिनांक 21.06.2026 को सम्पन्न प्रवेश परीक्षा परिणाम भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में उपलब्ध स्टेट कोटे की 85 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र के गैर-अल्पसंख्यक/अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों की 100 प्रतिशत स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०) में प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश/नीति-निर्धारित करते हुए कार्यवाही किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अभ्यर्थियों के आनलाईन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):-

- नीट यू०जी०-2026 के माध्यम से चयनित छात्रों का आनलाईन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण/धरोहर धनराशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। यू०पी० नीट यू०जी०-2026 की काउंसिलिंग हेतु स्टेट मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा एन०आई०सी० के सहयोग से तैयार की जायेगी।
- यू०पी० नीट यू०जी०-2026 की काउंसिलिंग हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के०जी०एम०यू०, लखनऊ, डा० राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

2. अर्हतायें (Eligibility):-

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यू०पी० नीट यू०जी०-2026 की काउंसिलिंग हेतु अर्हतायें निम्नवत् होगी:-

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने, नीट यू०जी०-2026 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किये गये हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन०टी०ए० द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट-आफ स्कोर के अनुसार यू०पी० नीट यू०जी०-2026 की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- यू०पी० नीट यू०जी०-2026 की काउंसिलिंग हेतु अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन०टी०ए० द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट-आफ स्कोर के अनुसार ही काउंसिलिंग में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को एन०टी०ए० द्वारा जारी

आरक्षित वर्ग के कट-आफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- iv. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमेसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- v. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमेसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- vi. प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडियट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
- vii. यू0पी0 नीट यू0जी0-2025 के स्ट्रे वैकेन्सी एवं स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यू0पी0 नीट यू0जी0-2026 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- viii. नीट यू0जी0-2026 हेतु एनटी0ए0 (National Testing Agency) द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी।

3. पंजीकरण:-

- i. यू0पी0 नीट यू0जी0 - 2026 की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- ii. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र एवं स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग हेतु ₹0 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क देय होगा।
- iii. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- iv. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

4. धरोहर धनराशि (Security Money):-

- i. गत वर्षों कि भाँति ही यू0पी0 नीट यू0जी0-2026 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) निम्नानुसार निर्धारित किया जाना है:-
 - a. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु ₹0 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र)
 - b. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु ₹0 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)
 - c. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु ₹0 1,00,000/- (रु0 एक लाख मात्र)
- ii. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी (मेडिकल एवं डेण्टल) दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र ₹0 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।
- iii. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेण्टल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र ₹0 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।
- iv. धरोहर धनराशि आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करायी जायेगी, जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- v. समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट

आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, उसी खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी, जिस खाते से उसका भुगतान किया गया है।

5. अभिलेखों का सत्यापन:-

i. यू0पी0 नीट यू0जी0-2026 के अन्तर्गत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन माध्यम से कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जायेंगे:-

- हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण-पत्र
- इण्टरमीडिएट मार्कशीट
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & EX. Army, NCC, FF, PWD) (यदि लागू हो)
- डोमिसाईल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

ii. यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी को अभिलेखों के आनलाइन सत्यापन हेतु निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा:-

क्र0सं0	अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेंटर
1	किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर
4	एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कॉलेज, झाँसी
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज
9	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़
11	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाँदा
16	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
17	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूँ
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर

6. आरक्षण:-**(क) उर्ध्ववाधर (Vertical) आरक्षण:-**

- i. प्रदेश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी संस्थानों (विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों को छोड़कर) में स्नातक पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:-

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या-1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 दिनांक 31.08.2020, जिसके माध्यम से उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 2020 प्रकाशित किया गया है, के अनुसार अनुमन्य होगा परन्तु ई0डब्लू0एस0 का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा, जिनमें एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 द्वारा ई0डब्लू0एस0 के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी है।

- ii. विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका सी सं0. 7820/2025 साबरा अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक.25.08.2025 को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में स्पेशल अपील सं0. 295/2025 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम साबरा अहमद योजित की गयी, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत पूर्व की भाँति ही प्रदेश में विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में प्रत्येक कालेज में उर्ध्ववाधर आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा स्टेट कोटे की सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्नवत् किया गया है:-

क्र0 सं0	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटें
1	अनुसूचित जाति	62
2	अनुसूचित जनजाति	05
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11
4	अनारक्षित	07
	योग-	85

(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण:-

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में दिव्यांग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	एन0सी0सी0 कैडेट के लिये, कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी अथवा बी सर्टिफिकेट	01 प्रतिशत

5

महिला अभ्यर्थियों के लिये

20 प्रतिशत

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-सी-19125/2026 सक्षम श्रीवास्तव बनाम 30प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.5.2026 के प्रासंगिक अंश निम्नवत है:-

3. To us it appears that the reservation provided in this State is illusory. This is because a candidate seeking to get admission to a course for graduation being required to produce C certificate of the grade, a certificate that can only be achieved on graduation, is effectively rendering the reservation unworkable. Mr. Upadhyay submits, the circular has not been challenged. Furthermore, any direction made must have prospective effect since, candidates possessing B certificate with appropriate grade may not have indicated so in their application forms as the circular requires C certificate of appropriate grade.

4. National Testing Agency (NTA) is added as party. Petitioner has leave to make the amendment in Court, to be countersigned by Court Master. Amended copy of the writ petition be served on empaneled learned advocate for the added party.

5. There will be order in terms of prayer (i), reproduced below.

"i. Issue writ order or direction in the nature of mandamus directing and commanding the respondents to rectify the brochure for NEET-2026 counseling by providing 1 percent reservation for NCC B certificate holder B grade."

We make this direction in terms of the prayer since we are convinced, reservation provided by relied upon circular dated 2nd February, 2007 is of no effect. There will be further direction on added respondent to notify to the candidates, prior to the rescheduled test by electronic mail, inviting uploading of NCC-B certificate with B grade by those candidates holding them and eligible for the horizontal reservation in the State of Uttar Pradesh, pursuant to our above direction, within the time that may be prescribed.

6. The writ petition is disposed of.

शासनादेश संख्या-224/71-3-07-75/05 दिनांक 02 फरवरी 2007 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी-सर्टिफिकेटधारी सामान्य/आरक्षित वर्ग के एन0सी0सी0 कैडेटों को प्रवेश में अलग से 01 प्रतिशत क्षैतिज (हारिजेन्टल) आरक्षण अनुमन्य किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य की शासकीय क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा की सीटों पर बी ग्रेडिंग सहित सी-सर्टिफिकेटधारी अथवा बी-सर्टिफिकेटधारी सामान्य/आरक्षित वर्ग के एन0सी0सी0 कैडेट अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 01 प्रतिशत क्षैतिज (हारिजेन्टल) आरक्षण अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नीट यू0जी0 2026 हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन0टी0ए0), नई दिल्ली द्वारा निर्गत इन्फार्मेशन बुलेटिन के पृष्ठ सं0- 36 के बिन्दु सं0-6(2) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

Reservation in State Quota Seats/Universities/Institutions/Private Medical Colleges under State Governments: In case of seats filled by the State Medical Colleges/Universities/Institutions /Private Medical Colleges under State Quota Seats, the reservation policy of the concerned State Government shall apply.

- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम 30प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को अपनी उर्ध्वाधर (Vertical) श्रेणी में ही उपलब्ध होगा।
- स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कनवत बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- शासनादेश संख्या-22 सीएम/26-3-2013 दिनांक-10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

बिन्दु संख्या 3:- जहां तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तदनु रूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या 4:- यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

- iv. आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- v. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- vi. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी, Director, General of Health Services (DGHS) Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- vii. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी अथवा बी सर्टिफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- viii. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2026 या उसके बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- ix. निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें ओपेन श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवंटित की जाएगी।
- x. धर्म सम्परिवर्तन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-429/बावन-4-98-33/98 दिनांक 28.10.1998 द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जन्मा हो, को अधिकृत किया गया है। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, जो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है।

- xi. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के धर्म सम्परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होंगे।

7. काउंसिलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया:-

- i. मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी(एम0सी0सी0), नई दिल्ली द्वारा नीट यू0जी0-2026 काउंसिलिंग हेतु निर्गत समय सारणी में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा स्टेट कोटे की काउंसिलिंग हेतु समय-सारिणी पृथक से निर्गत की जायेगी।
- ii. काउंसिलिंग प्रक्रिया आनलाईन माध्यम से चार चक्रों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड) में सम्पन्न की जायेगी।
- iii. अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग तक अपग्रेड करने हेतु अर्ह होंगे।
- iv. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट

आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन (Reshuffle) न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।

- v. पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प अगले चक्र की काउंसिलिंग में न भरे। यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को पुनरावंटन के फलस्वरूप वही सीट पुनः आवंटित हो जाती है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को आवंटित मेडिकल/डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पुनः सम्पन्न करनी होगी। अन्यथा की दशा में पूर्व से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा।

(क) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग:-

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो, उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

(ख) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग:-

- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित/निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अर्ह होंगे।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के मूल अभिलेख भी वापस कर दिये जायेंगे।

(ग) तृतीय चक्र की काउंसिलिंग:-

- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि

- तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- iv. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- v. तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी:-

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD, Ex, FF, NCC)	ST
2	SC (PwD, Ex, FF, NCC)	SC
3	UR (PwD, Ex, FF, NCC)	UR
4	OBC (PwD, Ex, FF, NCC)	OBC
5	EWS (PwD, Ex, FF, NCC)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

(घ) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के सम्बन्ध में:-

- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 के किसी भी चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट यू0जी0-2026 की आल इण्डिया काउन्सिलिंग एवं अन्य राज्यों की काउन्सिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
- यू0पी0 नीट यू0जी0-2026 के प्रथम चक्र/द्वितीय चक्र/तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय/निजी क्षेत्र के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि आनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जिन अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि जमा नहीं होगी, वे अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से ₹0 2000/- (₹0 दो हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किये हों, एवं प्रथम बार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हों, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो

ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2027-28 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

8. प्रवेश प्रक्रिया:-

- i. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समस्त शुल्क संबंधित मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
 - ii. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के क्रम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेन्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
 - iii. निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर की सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।
 - iv. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित कालेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, के साथ निर्धारित नोडल सेन्टर (Nodal Centre) पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।
 - v. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज अथवा नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
 - vi. राजकीय मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। केवल पोर्टल पर अपडेट किये गये प्रवेश ही मान्य होंगे।
 - vii. प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण-पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण-पत्र/सूचना कटरचित पायी जाती है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
 - viii. काउन्सिलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों का कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा।
 - ix. एक राजकीय मेडिकल कालेज से दूसरे राजकीय मेडिकल कालेजों में पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को, पूर्व आवंटित कालेज द्वारा प्रवेश शुल्क को छोड़कर अन्य समस्त शुल्क वापस कर दिये जायेगे, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन आवंटित मेडिकल कालेज में निर्धारित समस्त शुल्क प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
9. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-

- i. त्याग-पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कालेज/नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की गयी थी, उसी कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग-पत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा।
- ii. राजकीय मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त

त्याग-पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किये गये त्यागपत्र ही मान्य होंगे।

(क) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग:-

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश के किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात वह प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग 24 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 22 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी, अर्थात् अभ्यर्थी की सम्पूर्ण धरोहर धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा। साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा।
- प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(ख) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग:-

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा।
- प्रथम/द्वितीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(ग) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग:-

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर स्ट्रे

वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(घ) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड:-

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। धरोहर धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में देय होगी।

10. बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में:-

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017, दिनांक 07.03.2018 यथासंशोधित के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराये जाने के पश्चात् तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- शासनादेश संख्या-1/676928/2025, दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

11. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-

यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 की काउंसिलिंग हेतु काउंसिलिंग बोर्ड का गठन निम्नानुसार होगा:-

1	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (पदेन)	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा नामित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव	सदस्य
3	शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य/प्रोफेसर	सदस्य अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक श्रेणी
4	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित 03 चिकित्सा शिक्षक	सदस्य
5	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज/डेण्टल कॉलेज के प्रतिनिधि	सदस्य
6	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अल्पसंख्यक संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य

12. काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-

नीट यू0जी0-2026 की आनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के प्रति मेडिकल कालेज से रु0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के प्रति डेण्टल कालेजों से रु0 1,00,000/- जमा कराया जायेगा।

काउंसिलिंग कार्य से सम्बन्धित समस्त व्यय यथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज, विधिक कार्य, वाहन, जलपान व अन्य प्रशासनिक मदों में होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति सी0पी0एम0टी0 (नीट) फण्ड से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त की जाएगी।

1 3 . समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप